संख्या-1/2016/एस0ई0-239/दस-2016-ब-10/12टी0सी0

प्रेषक,

राज रतन,
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अपर निदेशक,
राष्ट्रीय बचत निदेशालय,
विकासदीप, 22 स्टेशन रोड,
उ0प्र0, लखनऊ।

वित्त (सेवायें) अनुभाग-1 लखनऊ दिनांक 28 अप्रैल, 2016

विषय:- राष्ट्रीय बचत निदेशालय के अपर जिला बचत अधिकारी की वेतन विसंगति से संबंधित मुख्य सचिव समिति को सन्दर्भित प्रकरण पर समिति द्वारा दी गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के कार्यान्वयन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रीय बचत निदेशालय के अपर जिला बचत अधिकारी की वेतन विसंगति के संबंध में दी गयी विसंगति के संबंध में समिति द्वारा दी गयी संस्तुतियों पर शासनादेश संख्या-19/2016/वे0आ0-2-384/दस-2016-8 (मु0स0स0)/2011 टी0सी0, दिनांक 22 मार्च, 2016 से निम्नानुसार पुनर्गठन किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(1) अपर जिला बचत अधिकारी के पद पर उच्चीकृत वेतन बैण्ड-2 एवं ग्रेड वेतन रू0 4600/- अनुमन्य कराये जाने का अवसर नहीं है। अपर जिला बचत अधिाकरी के पद पर वर्तमान में अनुमन्य वेतन बैण्ड-2 एवं ग्रेड वेतन रू0 4200/- यथावत बनाये रखा जाय।

(2) अपर जिला बचत अधिकारी के पदों का पुनर्गठन करते हुए दो स्तरीय ढ़ाचा निर्धारित किया जाय। संवर्ग के कुल पदों को 03:02 में विभाजित करते हुए अपर जिला बचत अधिकारी पदनाम से वेतन बैण्ड-2 एवं ग्रेड वेतन रू0 4200/- में तथा वरिष्ठ अपर जिला बचत अधिकारी पदनाम से वेतन बैण्ड-2 एवं ग्रेड वेतन रू0 4600/- में रखा जाय।

(3) उक्त व्यवस्था के अनुसार अपर जिला बचत अधिकारी के कुल 79 पदों में से अपर जिला बचत अधिकारी (वेतन बैण्ड-2 एवं ग्रेड वेतन रू0 4200) के 47 पद तथा वरिष्ठ अपर जिला बचत अधिकारी (वेतन बैण्ड-2 एवं ग्रेड वेतन रू0 4600/-) के 32 पद निर्धारित होंगे।

(4) उक्त व्यवस्था के उपरान्त 05 वर्ष की सेवा वाले अपर जिला बचत अधिकारी में से वरिष्ठ अपर जिला बचत अधिकारी के पदों पर शत प्रतिशत पदोन्नति तथा जिला बचत अधिकारी के पदोन्नति के कोटे के अन्तर्गत 30 प्रतिशत पदों पर वरिष्ठ अपर जिला बचत अधिकारी (वेतन बैण्ड-2 एवं ग्रेड वेतन रू0 4600/-) के पदों से पदोन्नति की व्यवस्था निर्धारित की जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(5) उक्त पुनर्गठन की व्यवस्था विभागीय शासनादेश निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगी।

(6) उक्त पुनर्गठन के अनुसार व्यवस्था का समावेश करते हुए विभागीय सेवा नियमावली में यथाशीघ्र संशोधन कर लिया जायेगा।

2- यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 संख्या-वे0आ0-311/दस-2016, दिनांक 26-04-2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें है।

भवदीय,

(राज रतन)
उप सचिव।

संख्या-1/2016/एस0ई0-239/दस-2016, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।

2- समस्त जिलाधिकारी/कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0।

3- समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी, मुख्यालय।

4- वित्त (वेतन-आयोग) अनुभाग-1/2 (तीन-तीन प्रतियों में)

5- निदेशक, अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरो, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश सचिवालय।

6- कार्मिक नियमावली सेल, उ0प्र0 सचिवालय।

आज्ञा से,

(राज रतन)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।